राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2021 दिनांकः 17 फरवरी, 2021

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

विषयः आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2021-22 हेतु आबकारी एवं मद्यसंयम नीति इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2021 के द्वारा जारी की गई है। पूर्व में जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 के निम्नांकित बिन्दुओं पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

1. **बिन्दु संख्या 2.8.2 एवं 2.9.2:-** में आबकारी ड्यूटी के साथ अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी शब्द भी जोड़ा जाता है।

2. **बिन्दु संख्या 10.3:-** में वर्ष 2021-22 के लिये अनुज्ञाराशि के स्थान पर आरक्षित राशि शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **बिन्दु संख्या 3.2.1** :-देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की थोक निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

क्र. सं.	मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टून का निर्गम मूल्य (रूपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक ब्रिक पैक
देशी मदिरा रेक्टीफाइड स्प्रिट				
1.	40 यूपी	540	490	540
2.	50 यूपी	-	455	470
3.	60 यूपी	-	320	320
राजस्थान निर्मित मदिरा (ENA)				
1.	25 यूपी	640	-	630

JSF/Excise/Sunil/letter amendment in excise policy

4. **बिन्दु संख्या 3.2.2** :–इस बिन्दु की प्रथम पंक्ति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :– थोक निर्गम मूल्य में देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा के अलावा) थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन सम्मिलित है।

5. **बिन्दु संख्या 3.3.1**:– वर्ष 2021–22 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर बेसिक लाईसेंस फीस क्रमशः 42 रू. एवं 102 रू. प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

6. **बिन्दु संख्या 3.3.6**:–वर्ष 2021–22 हेतु देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए परमिट फीस 1000 रू प्रति परमिट निर्धारित की जाती है।

7. **बिन्दु संख्या 6.3.1**:–, भा.नि.वि.म. RML तथा देशी मदिरा की समस्त प्रकार के लाईसेंस में बोटलिंग फीस 6.00 रू. प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के ऊपर अंकित प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें। आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021–22 के उपरोक्त बिन्दुओं के शेष एवं अन्य समस्त प्रावधान पूर्वानुसार यथावत रहेंगे।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति एवं इसके पश्चात् जारी स्पष्टीकरण/संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में जारी किये जाने वाले नोटिफिकेशन के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करावें। वर्ष 2021–22 हेतु आबकारी बंदोबस्त की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण कर विभाग को सूचित करावें।

भवदीय,

17/2/21

(टी.रविकान्त)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)